

सं0सं0-4पी(2) 25/2008... 4502 /
19711/2011

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

“संकल्प”

.....नवम्बर, 2011

विषय:- बिहार पशु प्रजनन नीति, 2011 की स्वीकृति।

बिहार राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के अन्य राज्यों की भाँति बिहार में भी पशुपालन के परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। राज्य में पशु प्रजनन कार्यक्रम में सरकारी संगठनों के अलावे अनेक गैर सरकारी संगठन सक्रिय हैं। सभी संगठनों की अलग-अलग कार्य पद्धति है। पशुपालकों की आवश्यकताओं, भौगोलिक स्थितियों तथा राज्य में देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में एक रूप नयी पशु प्रजनन नीति का अनुपालन सभी संगठनों की अनिवार्यता है। वर्ष 2005 में तैयार पशु प्रजनन नीति में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मार्गदर्शन तथा इस कार्यक्रम से जुड़े कम्फेड, पटना, जे0के0 ट्रस्ट, इंडिया जेन, बॉयफ एवं बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर बिहार राज्य के लिए संशोधित पशु प्रजनन नीति-2011 तैयार की गई है। संशोधित पशु प्रजनन नीति लागू करने में राज्य के पशुओं की सांख्यिकी तथा पशुजन्य उत्पादों को ध्यान में रखा गया है। नीति निर्धारण में पशुओं का विभिन्न वातावरणीय स्थितियों में अनुकूलता पशुपालकों की इच्छा, पशुपालन व्यवस्था की परम्परागत परिपाटी, कृषि फसल प्रति इकाई क्षेत्रफल में पशुओं तथा मनुष्यों का घनत्व, पशुओं का आहारीय तथा व्यवस्थात्मक व्यवस्था, भूमि की उपयोगिता जैसे मापदंडों को भी आधार बनाया गया है।

राज्य के कुल गौ जाति में देशी नस्ल 57.40% तथा संकर नस्ल 7.7% है। भैंसों के मामले में अयर्णित देशी नस्लों की बहुतायत है। जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है। उन्नत नस्ल के मुर्रा भैंस मात्र 5.41% मानव जाति के उपयोग में आनेवाली पशुजन्य उत्पादों में सबसे अधिक लोकप्रिय तथा सहजता से उपलब्ध उत्पाद दुध है। दुध का उत्पादन मादा पशुओं की संख्या तथा उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। मादा पशुओं में देशी गाय 57.40% संकर गाय 7.70% तथा भैंस 34.9% है। सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया है कि दुग्ध के उत्पादन में संकर नस्ल का योगदान 10% देशी गायों तथा भैंसों का योगदान 45% है शेष दुध का उत्पादन अवर्णित देशी गायों से होता है। इन्ही देशी गायों का उत्पादन क्षमता मात्र 2.9 किलोग्राम/ दिन है जो बहुत ही कम है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दुधारू संकर नस्ल, उन्नत देशी नस्ल तथा भैंस के घनत्व में भिन्नता है (किशनगंज 18% बेगुसराय 83%)। इससे स्पष्ट है कि अब तक पशु प्रजनन कार्यक्रम का प्रभाव विभिन्न जिलों में अलग-अलग पड़ा है। विभिन्न जिलों में प्रति वर्ग किलोमीटर दुध उत्पादन की मात्रा भिन्न-भिन्न है (पटना 444 किलोग्राम / वर्ग किलोमीटर अरवल 13 किलोग्राम/ वर्ग किलोमीटर)। शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन का घनत्व अधिक पाया गया है। इन सांख्यिकी आँकड़ों के आधार पर प्रभावकारी तथा सर्वग्राह्य समरूप पशु प्रजनन नीति तैयार कर दुध

उत्पादन में संतोष प्रद वृद्धि लायी जा सकती है। इसके लिए संकर देशी गायों-भैसों की संख्या एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। संकर नस्लों की संख्या में वृद्धि विदेशी जर्मप्लाज्म के समावेश के द्वारा संभव है जबकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि उचित प्रजनन व्यवस्था के साथ-साथ समुचित आहारिय तथा व्यवस्थात्मक सुधार द्वारा संभव है। जहाँ तक देशी नस्ल का प्रश्न है, राज्य के वातावरणीय स्थिति में उनकी अनुकूलता तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विदेशी नस्लों की तुलना में काफी अधिक है। वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक अनुभव बताते हैं कि एक सीमा से अधिक विदेशी जर्म प्लाज्म का समावेश पशुपालन व्यवसाय को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाते हैं तथा राज्य के वातावरणीय स्थिति में उनकी अनुकूलता घटती है। (अनुलग्नक-1) अनियंत्रित पशु प्रजनन नीति से देशी नस्लों की संख्या में लगातार ह्रास होता जा रहा है जो घातक है। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर बिहार पशु प्रजनन नीति-2011 तैयार की गई है जिसके मूल आधार निम्नलिखित हैं:-

- i) फ़ोजेन सीमेंट के उपयोग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली का प्रोत्साहन।
- ii) प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से वंचित सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए।
- iii) विदेशी जर्म प्लाज्म का एक सीमा तक समावेश।
- iv) जिलों के वातावरणीय स्थिति के अनुसार जर्मप्लाज्म का चयन।
- v) देशी नस्लों का संवर्द्धन तथा संरक्षण।
- vi) अनियंत्रित गर्भाधान को रोकने हेतु अवांछित नर बछड़ों/सॉदों का बधियाकरण।
- vii) पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था।
- viii) प्रजनन नीति क्रियान्वयन हेतु नियंत्रात्मक व्यवस्था का सृजन।

2- प्रजनन नीति के मुख्य बिन्दुः-

दूध उत्पादन में संलग्न पशुपालकों की प्राथमिकता में भिन्नता है। एक तरफ देशी नस्लों/अवर्णित नस्लों पर निर्भर रहकर क्रमिक रूप से उत्पादन में वृद्धि का समर्थन किया जाता है तो दूसरी ओर कम समय में ही विदेशी नस्लों के पालन से अधिक उत्पादन का समर्थन किया जाता है; चाहे अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव कुछ भी हो। इन बातों तथा विदेशी जर्मप्लाज्म के अत्याधिक समावेश से उत्पन्न कठिनाइयों की संभावना के मद्देनजर बिहार पशु प्रजनन नीति-2011 का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

3- ब्रीडिंग जोनः-राज्य के विभिन्न जिलों में पशुधन विकास के परिदृश्य अलग-अलग है। विगत वर्षों में पशु विकास तथा पशुउत्पादन क्षमता को एक मानक स्तर तक लाने के आधार पर राज्य को आठ ब्रीडिंग जोन में विभक्त किया गया है (अनुलग्नक-1 के अनुसार)।

1- पशु प्रजनन हेतु चयनित पशु प्रजातियाँः-

(क) दुग्ध उत्पादन के लिए

विदेशी- जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन

देशी- रेड सिन्धी, गिर, साहिवाल, थरपारकर।

(ख) कर्षण शक्ति वालेः-

बछोर, हरियाणा, शाहावादी।

(ग) द्विगुणवाले:-

हिरयाणा, थरपारकर ।

भैंस जाति:- मुरा

बकरी जाति:- ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बारबरी, बीटल, जखराना

भेड़ जाति:- शाहावादी, कॉरिडेल, रैम्बुलेट

सूकर जाति:- लार्ज व्हाइट यार्कशायर, लैण्डरेश, टैमवर्थ, टी0 एण्ड डी0

कुक्कुट:- बैकयार्ड लेयर्स वॉयलर

केरी निर्भिक व्हाइट लेग हार्न कॉब

चैब्रो केरी प्रिया रॉश

बनराजा कलिंगालेयर हुवर्ड

5- बोमाइन प्रजनन नीति:-

- अवर्णित गायों का जर्सी (मुख्य रूप से) या फ्रीजियन नस्ल (सीमित रूप से) क्रॉस ब्रीडिंग ।
- संकर प्रजनित गायों का संकर सॉढ़ों (जर्सीxदेशी या फ्रीजियनxदेशी) से प्रजनन (अनुलग्नक-II)
- जर्सी जर्म प्लाज्म से ब्रीडिंग को प्रोत्साहन ।
- फ्रीजियन जर्मप्लाज्म से उन्ही सीमित क्षेत्रों में क्रॉस ब्रीडिंग को प्रोत्साहन जहाँ फ्रीजियन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की सफलतापूर्व में ही रथापित हो चुकी है तथा पशुओं का रख-रखाव और आहारिय व्यवस्था की उत्तम व्यवस्था अपनायी जा रही है जहाँ इनकी संभावनाएँ है ।
- संकर प्रजनित संतति में विदेशी जर्म प्लाज्म का समावेश 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अपवाद स्वरूप अच्छे रख-रखाव की स्थिति में 62.5 प्रतिशत तक की छुट दी जा सकती है ।
- अवर्णित गायों तथा विदेशी सॉढ़ों के प्रजनन से उत्पन्न गायों को सिर्फ उन्हीं संकर सॉढ़ से जनन कराया जाएगा, जिनमें विदेशी जर्मप्लाज्म 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि विदेशी जर्मप्लाज्म 62.5 प्रतिशत तक सीमित रह सकें ।
- संकर सॉढ़ों को वैसे बुल मदर फार्म से प्राप्त किया जाएगा जहाँ नामित प्रजनन की प्रक्रिया अपनायी जाती है । क्षेत्रों से उच्च गुणवत्ता वाले नर बछड़ों को सॉढ़ के रूप में विकसित कर प्रजनन हेतु उपयोग में लाया जाएगा । इनके जन्म, स्वामित्व, जर्मप्लाज्म का स्तर, प्रजनन पृष्ठभूमि हेतु प्रजनन-सह-स्वास्थ्य कार्ड संधारण की व्यवस्था आधारित कार्यक्रम लागू किया जाएगा ।
- साहिवाल, रेड सिन्धी, गिर हरियाणा और थरपारकर नस्लों का विदेशी जर्म प्लाज्म से क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग प्रथम पीढ़ी के (F1) सॉढ़ प्राप्ति के लिए किया जाएगा । इसके बाद की संकर सॉढ़ों का उत्पादन (F1) संतति की गायों/ सॉढ़ों के अन्तर सम्पर्क से प्राप्त किया जाएगा ।
- कर्षण अथवा, द्विगुण वाले पशुओं की प्राप्ति हेतु अवर्णित पशुओं का प्रजनन शुद्ध देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहिवाल, हरियाणा, थरपारकर) से कराया जाएगा । बड़े आकार वाले बैलों की प्राप्ति हेतु

हरियाणा तथा थारपारकर नस्लों का उपयोग किया जाएगा, जबकि हलके आकार वाले बैलों की प्राप्ति हेतु रेड सिन्धी/ गिर नस्लों के सॉढ़ों का उपयोग किया जाएगा।

- शुद्ध देशी/ स्थानीय नस्ल के गायों तथा सॉढ़ों से प्राप्त मादा बच्चों को देशी/ स्थानीय नस्ल के संवर्द्धन हेतु मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी।
- भैसों के प्रजनन में मुर्दा नस्ल से प्रजनन को अपनाया जाएगा।
- सेक्सड सीमेन का उपयोग किया जाएगा।
- क्षेत्रों से सॉढ़ों के चयन हेतु संतति परदृश्य कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
- नालंदा एवं शेखपुरा जिले (दक्षिण पूर्वी जिले) के लिए हॉलस्टिन फ्रीजियन के 50 प्रतिशत सीमेन का उपयोग किया जाएगा।
- सरकारी सहित सभी गैर सरकारी संगठनों के कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एक रूप पाठ्य क्रम निर्धारित किया जाएगा।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का निबंधन अनिवार्य होगा।
- पशु उत्पादों से विदेशों में घटित रोगों के जनक जर्म प्लाज्म अथवा किसी खास प्रजाति में रोग की अधिक संभावना के संदेहास्पद विदेशी जर्मप्लाज्म को राज्य में आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पशु प्रजनन कार्य से जुड़े किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों के लिए पशु प्रजनन नीति-2011 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- बिहार लाईव स्टॉक डेवलपमेंट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0) पटना में सभी संगठनों के लिए प्रजनन नीति नियंत्रण की पूरी शक्ति निहित की जाएगी।
- पशुपालकों के लिए सामयिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि वे प्रजनन नीति की क्रियाविधि तथा पशुओं में शुन्य स्तर का बॉझपन समस्या के पहलूओं से अवगत हो सकें।
- पशु प्रजनन की आधुनिक जानकारियों से अवगत होने के लिए भेट्स तथा पाराभेट्स के लिए नियमित रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाएगी।
- पशुओं से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के निमित्त पशु खाद्य सामग्रियों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाएगा।
- पशुपालकों के दरवाजे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- उन्नत अनुवांशिक बछड़ों के उत्पादन हेतु भ्रूण स्थानान्तरण तकनीक अपनाया जाएगा।
- तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराकर व्यावसायिक अर्द्धव्यावसायिक दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- कृषि विश्वविद्यालय/ अन्य अनुसंधान कार्य से जुड़े संस्थानों के सहयोग से निम्नलिखित अनुसंधान तथा विकासात्मक कार्य किये जाएंगे जो भविष्य के लिए बेहतर पशु उत्पादन में सहायक होंगे:-

- i) विभिन्न नस्लों की गायों के दुध में उपस्थित वसा एवं वसा रहित ठोस प्रतिशत का अध्ययन।
- ii) विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों से विभिन्न नस्लों के पशुओं की अनुकूलता का अध्ययन।
- iii) दुध उत्पादन के मूल्य एवं विभिन्न नस्लों के गव्य पालन से लाभ-हानि का अध्ययन।
- iv) विभिन्न प्रकार के चारा तथा आहारिय व्यवस्था का उत्पादन पर प्रभाव का अध्ययन कर चारा नीति की संरचना।

6- मेड प्रजनन नीति:-

कोरिडेल एवं रैमबुलेट नस्ल से स्थानीय शाहावादी नस्ल का संकर प्रजनन कराया जाएगा अन्यथा केरिडेल रैमबुलेट नस्ल से स्थानीय अवर्णित नस्ल के भेड़ों का ग्रेडिंग-अप जारी रहेगा।

7- बकरी प्रजनन नीति:-

राज्य के बकरियों के नस्ल सुधार के लिए ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बीटल, बारबरी एवं जखराना के बकरों से ग्रेडिंग-अप का कार्य कराया जाएगा। ब्लैक बंगाल के बकरियों का संरक्षण एवं चयनात्मक प्रजनन कार्य कराया जाएगा।

8- कुक्कुट प्रजनन नीति:-

कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम के लिए कैरी, निर्भिक, चैजों बनराजा, व्वाइट लेगहार्न, कैरिप्रिया कलिंगालेयर, कॉब, रॉस और हुवर्ड नस्ल के मुर्गियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

9- सूकर प्रजनन नीति:-

राज्य के सूकर विकास के संबंध में लार्ज व्हाइट यार्कशायर, लैंडरेस, टमेवर्थ एवं टी0 एण्ड डी0 नस्ल की प्राथमिकता दी जाएगी।

10- पशु चारा एवं दाना:-

एन0डी0डी0वी0 द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न वातावरणीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत मिनरल मैपिंग प्रतिवेदन (अनुलग्नक-3) के आधार पर पशुओं के लिए आहारिय व्यवस्था की नीति अपनायी जाएगी। हरा चारा उत्पादन के मामले में खरीफ, गर्मा तथा रब्बी मौसम के लिए सिरियलस तथा लेग्युमिनस हरा चारा की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन की नीति अपनायी जाएगी।

11- पशुपालकों के लिए पशु प्रजनन-सह-स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान:-

पशुपालकों के स्तर पर पशु प्रजनन-सह-स्वास्थ्य कार्ड का संधारण सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।

12- आहारिय व्यवस्था:-

- i) समुचित आहारिय व्यवस्था के बिना पशुपालन में वांछित प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सफल प्रजनन कार्यक्रम में खनिज लवणों की कमी एक बड़ी समस्या है। आहारिय व्यवस्था इस प्रकार तैयार की जाएगी कि पशुओं के आहार में सभी वांछित खनिज लवणों का समावेश हो। राज्य के विभिन्न भागों के मिट्टी में मिनरल के सांद्रता एक

समान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी का विश्लेषण कर खनिज की अनुशंसा की गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड के अनुशंसा पर आधारित खनिज मिश्रण (अनुलग्नक-III) तैयार करने वाले सरकारी / निजी उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार हरा चारा उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित किया जाएगा।

- ii) दुध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से संतुलित पशु आहार के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iii) साईलेज उत्पादन तथा गैर परम्परागत पशु आहारों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

13- क्रियान्वयन:-

बिहार पशु प्रजनन नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा बिहार लाईव स्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0) पटना को प्राधिकृत किया जाएगा। यह एजेन्सी निम्न कार्यों के लिए जिम्मेवार होगी:-

- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से जुड़े गैर सरकारी संगठनों एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का निबंधन।
- किसी भी सरकारी/ गैर सरकारी पशु प्रजनन संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए एकरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण।
- प्रजनन हेतु सौंदर्यों का चयन।
- विभिन्न प्रकार के पशुओं के जर्म प्लाज्म विकास हेतु नीति का क्रियान्वयन।


14- बिहार पशु प्रजनन नीति-2011 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

15- बिहार पशु प्रजनन नीति-2011 संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

16- यह संकल्प अधिसूचना सं0-2851 दिनांक 30, जुलाई, 2005 का स्थान लेगी।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभागों को भेजी जाय तथा बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


16.11.2011
(सुधीर कुमार)

सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र गजट के असाधारण अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं इसकी 1000 प्रति उपलब्ध करायी जाय।


16.11.2011
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.11.2011
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक कम्पेड, पटना/ जे0के0 ट्रस्ट ग्राम विकास योजना, स्टेट ऑफिस/ 5डी-21, उत्तरी श्री कृष्णापुरी/ इंडिया जेन, सादातपुर, मुजफ्फरपुर/ बैफ, बिहार प्रोग्राम, एच0नं0-2, रोड नं0-8, पूर्वी, पटेलनगर, पटना-23/ परियोजना निदेशक, बिहार, लाईव स्टॉक डेवलपमेंट एजेन्सी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.11.2011
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.11.2011
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ अवर सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.11.2011
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4पी(2)25/ 2008 प0पा0...५५०२.../पटना-15, दिनांक-...18.11.../2011

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


16.11.2011
सरकार के सचिव।

(अनुलग्नक- I)

बिहार के विभिन्न वातावरणीय क्षेत्रों के लिए पशु प्रजनन नीति का निर्धारण
से संबंधित सारणी :-

क्र०	जिला	प्रजनन जोन	संकर नस्ल का अनुशासित प्रतिशत	अनुशासित देशी नस्ल	अनुशासित नस्ल	अभ्युक्ति
1	अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ एवं कटिहार	उत्तर पूर्वी	जर्सी (50%)	रेडसिन्धी/ गिर / साहिवाल	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी 50% जर्जप्लाज्म से अपनाया जाएगा
2	घो घम्पारण, पूर्वी घम्पारण एवं गोपालगंज	उत्तर पश्चिमी	जर्सी (50%)	बज्जीर/ हरियाणा/ गिर / साहिवाल	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग 50% जर्सी जर्ज प्लाज्म के साथ अच्छे रख-रखाव की स्थिति में।
3	अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नयादा	दक्षिण पश्चिमी	जर्सी (50%)	हरियाणा धारपाकर/ गिर / साहिवाल	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग का अल्प प्राथमिकता, शुद्ध जर्सी अथवा 50% जर्सी शुद्ध से क्रॉस ब्रीडिंग को अल्प प्राथमिकता देनी है।
4	मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी	उत्तर पश्चिमी	जर्सी (50%)	रेड सिन्धी/ गिर/ हरियाणा / साहिवाल	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग को अल्प प्राथमिकता। जर्सी से 50% तक।
5	सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा	उत्तर पूर्वी	जर्सी (50%)	रेड सिन्धी/ गिर / साहिवाल	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी से 50% तक। अच्छे ऋतु वाले इससे अधिक सीमा तक जा सकते हैं।
6	नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई एवं बांका	दक्षिण पूर्वी	जर्सी (50%) हॉलस्टिन प्रीजियन (50%)	साहिवाल/ गिर	मुरा	संकर प्रजनन जर्सी 50% का सीमेन/ जर्सी शुद्ध का सीमेन / हॉलस्टिन प्रीजियन 50% तक
7	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास	केन्द्रीय क्षेत्र (सापेक्षिक क्रम उन्नत संसाधन)	जर्सी (62.5%) प्रीजियन (50%)	साहिवाल, हरियाणा, धारपाकर/ गिर	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी 50%, 62.5%, हॉलस्टिन प्रीजियन- 50% अल्प प्राथमिकता के साथ
8	सिवान, सारण, भोजपुर, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर	केन्द्रीय क्षेत्र (उन्नत संसाधन)	जर्सी (75%) प्रीजियन (62.5%)	साहिवाल/ गिर	मुरा	क्रॉस ब्रीडिंग जर्सी (शुद्ध), जर्सी 50-75% हॉलस्टिन प्रीजियन (शुद्ध)/ 62.5% तक, हॉलस्टिन प्रीजियन 50%

(अनुलग्नक- II)

विभिन्न नस्लों के जर्म प्लाज्म से क्षेत्र के प्रजनन योग्य गायों के लिए


कृत्रिम गर्भाधान मार्ग तालिका :-

(कोष्टक के अन्दर जर्म प्लाज्म का प्रतिशत दिखाया गया है।)

क्षेत्र में प्रजनन योग्य मादा पशुओं का विदेशी/ देशी/ संकर जर्म प्लाज्म समावेश						
प्रजनन के लिए उपलब्ध मादा →	अवर्णित	उन्नत देशी (100 %)	विदेशी स्तर (50 % से कम)	विदेशी स्तर (50 %)	विदेशी स्तर (75 %)	विदेशी स्तर (75 % से अधिक)
प्रजनन के लिए उपलब्ध नर →						
उन्नत देशी जर्म प्लाज्म स्तर (100 %)	देशी (50 %)	उन्नत देशी (100 %)	—	—	—	विदेशी 62.5 % से 75 %
विदेशी (100 %)	विदेशी (50 %)	सिर्फ प्रजनन के लिए सौंद्य प्राप्ति हेतु	विदेशी जर्म प्लाज्म (50 % से 75 %)	विदेशी जर्म प्लाज्म (75 %)	—	

एन० डी० डी० बी० द्वारा तैयार मिनेरल मैपिंग की क्षेत्रवार सूची :-


क्र०	खनिज	उत्तरी पश्चिमी	दक्षिणी	उत्तरी पूर्वी	बिहार के लिए सामान्य आहार संरचना	बी० आई० एस० 2002 विशिष्टता
1	2	3	4	5	6	7
1	नमी (प्रतिशत) (अधिकतम)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	कैल्शियम (प्रतिशत) (न्यूनतम)	15.0	15.0	15.0	16.0	20.0
3	फास्फोरस (प्रतिशत) (न्यूनतम)	8.0	9.0	7.0	9.0	12.0
4	मैगनेशियम (प्रतिशत) (न्यूनतम)	10.0	8.0	9.0	9.0	5.0
5	सल्फर (प्रतिशत) (न्यूनतम)	8.0	8.0	9.0	8.5	1.8
6	आयरन (प्रतिशत) (न्यूनतम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.40
7	मैंगनीज (प्रतिशत) (न्यूनतम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.12
8	कॉपर (प्रतिशत) (न्यूनतम)	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10
9	ज़िंक (प्रतिशत) (न्यूनतम)	1.0	0.92	0.96	0.95	0.80
10	कोबाल्ट (प्रतिशत) (न्यूनतम)	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
11	आयोडिन (प्रतिशत) (न्यूनतम)	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
12	लेड (पी० पी० एम०) अधिकतम	15.0	16.0	14.0	16.0	20.0
13	आर्सेनिक (पी० पी० एम०) अधिकतम	5.0	6.0	5.0	6.0	7.0
14	फ्लोरिन (अधिकतम)	0.05	0.055	0.05	0.055	0.07
15	एसिड अघुलनशील (प्रतिशत) अधिकतम	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0



hlx<

CHHATTISGARH LIVESTOCK DEVELOPMENT AND BREEDING POLICY

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
AND DAIRYING
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH



Abbreviation

NPCBB	National Project on Cattle and Buffalo Breeding
ASCAD	Assistance to State for Control of Animal Disease
JKNGOS	JK Non-government Organisation
MIS	Management Information System
HID Cell	Human Institutional Development Cell
NDDB	National Dairy Development Board
CSLDA	Chhattisgarh State Livestock Development Agency
DRDA	District Rural Development Agency
NGO	Non-government Organisation
AHD	Animal Husbandry Development
SHG	Self Help Group
DFID	Development for International Development
NABARD	National Bank for Agriculture & Rural Development
WTO	World Trade Organisation
AI	Artificial Insemination
NDRI	National Dairy Research Institution
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
PTD	Participatory Technology Development
KVK	Krishi Vigyan Kendras
KGK	Krish Gyan Kendras
ATMA	Agricultural Technology Management Agency
MANAGE	National Institute of Agricultural Extension Management
VLW	Village Level Workers
AVFO	Assistant Veterinary Field Officer
CPR	Common Property Resource
LN2	Liquid Nitrogen
APC	Agricultural Production Commissioner
GOI	Govt. of India
FMD	Foot and Mouth Disease
PPR	Peste de petits ruminants
HS	Hemorrhagic Septicemia
BQ	Black Quarter